

आदेश व इजलास डॉ. जितेन्द्र कुमार सोनी आई.एस. जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, जयपुर
प्रकरण संख्या : 582/2025 (धारा 14 सिक्योरिटाईजेशन)
सीएफएम एसेट रिकस्ट्रक्शन प्राईवेट लिमिटेड, प्रथम मंजिल, वेकफील्ड हाउस, रपॉर्ट रोड, बैलार्ड
एस्टेट, मुंबई।

प्रार्थी वित्तीय संस्था

बनाम

1. मुकेश कुमार
पता :- पुत्र श्री कालूराम बलाई मोहल्ला वाया रेनवाल,
मलिकपुरा बधाल 272 जयपुर राजस्थान 303602
2. गंगा देवी,
पता :- मलिकपुरा मलिकपुरा बधाल जयपुर
272 जयपुर राजस्थान 303602

अप्रार्थीगण
ऋणी एवं गारन्टर




The application under section 14 of The Securitisation and
Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security
Interest Act, 2002

उपरिष्ठित श्रीना वर्मा, अधिवक्ता प्रार्थी वित्तीय संस्था की ओर से।

आदेश

दिनांक 09.09.2025

1. संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि वित्तीय संस्था फिनोवा केपिटल प्रा0 लि0 ने अप्रार्थी ऋणी को दिनांक 22.07.2022 को पुनर्भुगतान हेतु जमानत प्रतिभूति के रूप में अप्रार्थी श्री गंगा देवी के स्वामित्व की सम्पत्ति पट्टा संख्या 33, ग्राम मलिकपुरा, ग्राम पंचायत मलिकपुरा, तहसील रेनवाल, जयपुर कुल क्षेत्रफल 292 वर्गगज को बंधक रख कर कुल राशि 2,25,000/- रुपये की ऋण सुविधा उपलब्ध कराई गई थी। फिनोवा केपिटल प्रा0 लि0 ने अप्रार्थी का ऋण खाता जरिये असाईनमेन्ट एग्रीमेन्ट दिनांकित 31.12.2024 से प्रार्थी वित्तीय संस्था को हस्तांतरित कर दिया गया। अप्रार्थी ऋणी द्वारा प्रार्थी वित्तीय संस्था को ऋण भुगतान करने में असफल रहने पर अधिनियम की धारा 13(2) अन्तर्गत अप्रार्थी ऋणी को दिनांक 01.03.2025 को रजिस्टर्ड नोटिस जारी किए गए। नोटिस जारी किये जाने के बावजूद ऋण राशि मय ब्याज भुगतान नहीं करने पर प्रार्थी वित्तीय संस्था ने The Securitization and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 की धारा 14 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपने पास बन्धक सम्पत्ति का भौतिक रूप से कब्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक पुलिस इमदाद उपलब्ध कराने की इस्तदुआ की है।



जिला मजिस्ट्रेट
(कलक्टर) जयपुर



3. पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थी वित्तीय संस्थान ने अप्रार्थीगणों को कुल राशि 2,25,000/-रुपये का ऋण दिया है, जिसकी प्रतिभूति जमानत के रूप में अप्रार्थीगण ने उपरोक्त वर्णित सम्पत्ति बन्धक के रूप में प्रार्थी वित्तीय संस्था के पास गिरवी रखी है। अप्रार्थीगण का ऋण खाता एन पी ए घोषित होने से नियमानुसार ऋण वसूली के लिए बकाया ऋण राशि 3,10,341/-रुपये की ऋण सुविधा जमा कराने हेतु अप्रार्थीगण को दिनांक 01.03.2025 को अधिनियम की धारा 13(2) के अधीन रजिस्टर्ड नोटिस जारी किया गया, अप्रार्थीगण द्वारा उक्त नोटिस का वित्तीय संस्था को कोई जवाब नहीं दिया गया और अप्रार्थीगण द्वारा वित्तीय संस्था को बकाया ऋण राशि का भुगतान भी नहीं किया गया है। प्रकरण में वसूली योग्य बकाया राशि एक लाख रुपये से अधिक होने एवं 20 प्रतिशत से अधिक राशि बकाया होने से अधिनियम के प्रावधानों के तहत वित्तीय संस्था बन्धक रखी गई सम्पत्ति को कब्जा प्राप्त करने की अधिकारी है एवं अधिनियम की धारा 14 के तहत वित्तीय संस्था के पक्ष में बन्धक रखी गई सम्पत्ति का भौतिक कब्जा दिलाये जाने का स्पष्ट प्रावधान है। प्राधिकृत अधिकारी ने धारा 14 के समर्थन में आवश्यक शपथ पत्र प्रस्तुत कर दिया है।
4. अतः The Securitization and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act. 2002 की धारा 14 में प्रदत्त शक्तियों के तहत प्रार्थना पत्र स्वीकार कर प्रार्थी वित्तीय संस्था के पक्ष में अप्रार्थी श्री गंगा देवी के स्वामित्व की सम्पत्ति पट्टा संख्या 33, ग्राम मलिकपुरा, ग्राम पंचायत मलिकपुरा, तहसील रेनवाल, जयपुर कुल क्षेत्रफल 292 वर्गगज का भौतिक रूप से कब्जा प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा जरिये सम्बन्धित पुलिस थाना प्राप्त किये जाने के आदेश दिये जाते हैं।
5. आदेश की प्रति संबंधित पुलिस उपायुक्त जयपुर शहर/पुलिस अधीक्षक जयपुर ग्रामीण को भेज कर लिखा जावे कि उक्त सम्पत्ति का कब्जा प्रार्थी वित्तीय संस्था को प्राप्त करने में सहयोग कर वित्तीय संस्था को दिलाने हेतु संबंधित थानाधिकारी को निर्देशित करे एवं पालना रिपोर्ट भिजवाने हेतु पाबन्द करें। आदेश की प्रति हस्त कायदा जारी हो। पत्रावली नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।



आदेश आज दिनांक 09.09.2025 को सरे इजलास सुनाया गया।


 (डॉ. जितेन्द्र कुमार सोनी)
 जिला मजिस्ट्रेट
 (कलक्टर) जयपुर
 3568-69
 24/9/25